# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

## पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या 81/2019

सी.सी.एम.एस. यूनिक आई डी: 2019/00162

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्याम लाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 4, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. आनन्द कुमार पुत्र श्याम लाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 4, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. सुनीता पुत्री श्याम लाल पत्नी रमेश चन्द्र जाति ब्राहमण निवासी हाल सरदारपुरा बास, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

—वादीगण

बनाम

1. श्याम लाल पुत्र मनी राम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 4, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

—:प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88—209 राज. काश्त. अधि

उपस्थिति :—

1 श्री प्रीतम सिह गिल, अधिवक्ता वादीगण

2 श्री अवनीश कौशिक, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

—: निर्णय :—

दिनांक:—16.09.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—209 आरटी एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा मनीराम वल्द बिदाराम के नाम से चक 27 पी.एस. के प.नं. 229/285 मु.नं. 11 के कि.नं. 2—3—9—12—19—22 प्रत्येक 0.253है कुल 1.518है. नहरी व प.नं. 230/286 मु.नं. 20 के कि.नं. 1—2 प्रत्येक 0.253 नहरी मय खाला, 3/1 की 0.025है., 8/2 की 0.025है, 9 की 0.253है, 10 व 11 प्रत्येक 0.228है., 12 की 0.253है, 13/1 की 0.025है. कुल 1.518है. कुल 3.036है.0 नहरी मय खाला एवं इसी चक के प.नं. 230/285 मु.नं. 10 के कि.नं. 1 ता 13, 18 ता 24/2 की 4.302है. नहरी, प.नं. 229/285 मु.नं. 11 के कि.नं. 1—10—11—20—21 की 1.265है. नहरी, प.नं. 229/286 मु.नं. 19 की 2/2 की 0.025है. खाला कुल 5.592है. नहरी मय खाला, जिसमें 1/3 भाग मनीराम के नाम से व 2/3 भाग वादीगण के पिता प्रति. सं. 1 व उनके भाई किशनलाल के नाम से दर्ज हैं। उक्त भूमि मनीराम ने अपनी पुश्तैनी भूमि व अन्य भूमि हिस्सा ठेका पर लेकर काश्त कर अर्जित आमदनी से बचत कर जमाधन से अपने व अपने दोंनों पुत्रों प्रतिवादी श्यामलाल व किशनलाल की नाबालिग अवस्था में उनके नाम से ब.हि.ब. क्रय की गयी थी। इस प्रकार प्रतिवादी श्यामलाल के नाम से दर्ज 1/3 भाग की भूमि उनकी स्वअर्जित नहीं होकर पिता से ही प्राप्त हैं। वादीगण की दादी श्रीमती गोमती देवी पत्नी मनीराम के नाम से चक 27 पीएस के प.नं. 229/286 मु.नं. 19 के कि.नं. 2/1 के 0.228है. कि.नं. 8,9,14ता17,24 प्रत्येक 0.253 व कि.नं. [illegible] नहरी खातेदारी भूमि हैं। वादीगण के दादा मनीराम जी व दादी श्रीमति गो[illegible] देव[illegible] देहान्त होन उपरांत

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.09.29 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता प्रतिवादी श्यामलाल के नाम वाके चक 27 पी.एस. के संयुक्त खाता सं. 30 प.नं. 229/286 मु.नं. 19 के किला नंबर 2/1 की 0.228है0,8,9,14,ता 17,24 प्रत्येक 0.253है0 व 25 की 0.228है0 कुल खाता योग 2.227है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से 1.335है0 इसी चक 27 पी.एस. के संयुक्त खाता सं. 29 में पं.नं. 230/285 मु.नं. 10 के किला नं. 1 ता 13,18, ता 24/2 की 4.302है0 नहरी, प.नं. 229/285 मु.नं. 11 के किला नंबर 1,10,11,20 21 की 1.265है0 नहरी, पं.नं. 229/286 मुं.नं. 19 की 2/2 की 0.025है0 खाला कुल खाता योग 5.592है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में 2.237है0 नहरी, इसी चक 27 पी.एस. के संयुक्त खाता सं. 31 में पं.नं. 229/285 मुं.नं. के किला नंबर 2,3,9,12,19,22 प्रत्येक 0.253है0 1.518है0 नहरी वा पं.नं. 230/286 मु.नं. 20 के किला नंबर 1व2 प्रत्येक 0.253है0 नहरी मय खाला, 3/1 की 0.025है0, 8/2 की 0.0253है0 9की 0.0253है0 10 व 11 प्रत्येक 0.228है0,12 की 0.253है0 व 13/1 की 0.025है0 कुल खाता योग 3.036है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में 0.175है0 नहरी भूमि में से तीनों खातों में क्रमशः 1.335है., 2.237है., 1.175है. कुल तीनों खातो में 4.747है. भूमि दर्ज हैं। जो प्रतिवादी श्यामलाल की स्वअर्जित नहीं होकर पुश्तैनी से पैतृक सम्पत्ती हैं। वादीगण प्रतिवादी श्यामलाल की वैध संतान होने से उन्हे जन्म से ही उक्त विवादित रकबा में पैतृक सम्पति हैं। अतः 27 पीएस के तीनों संयुक्त खाता में प्रतिवादी श्यामलाल के नाम से दर्ज कुल 4.747है. कृषि भूमि को पैतृक सम्पत्ति होना घोषित कर उसमें वादीगण का 3/4 भाग की भूमि पर अधिकार घोषित कर घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 पारित करने हेतु निवेदन किया। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवीद सं. 1 की ओर से इक़बाल जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार कर वांछित अनुतोष प्रदान कर निर्णत व डिक्री फरमाया जाता हैं तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं हैं। जवाब सरकार पेश हुआ। राजपैरोकार ने जवाब सरकार में नवीनतम जमाबंदी रिकार्ड पेश कर वाद रिकार्ड हद तक स्वीकार कर कोई ऐतराज आदि प्रस्तुत नहीं किया हैं। चूंकि वाद वादी पर किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करवायी गयी हैं। इसलिए वकील उभयपक्ष के निवेदन करने पर वाद में तनकीयात कायम नहीं की गयी। पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो दिनांक 31.08.2020 को तस्दीक किया गया।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार प्रकरण में निर्णय एवं डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज राजस्व रिकार्ड एवं पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। वाद में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इकबाल जवाब दावा पेश हो चुका हैं। तथा राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट हैं कि जमाबंदी सम्वत् 2074–77 चक 27 पीएस के खाता सं. 30/29 में 2237/5592हिस्सा (पूर्ण खाता राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा रायसिंहनगर), खाता स. 31/30 में 1336/2227 हिस्सा (राहिन हिस्सा 890/2227 पूर्ण खाता ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा रायसिंहनगर) तथा खाता सं. 27/46 हिस्सा (राहिन हिस्सा 1175/3036 पूर्ण खाता ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा रायसिंहनगर) भूमि प्रतिवादी सं. 1 श्यामलाल पुत्र मनीराम की खातेदारी भूमि हैं। राजस्व रिकार्ड अनुसार वादगत भूमि बैंक के रहन दर्ज हैं। वादीगण द्वारा अपने वाद में संबंधित बैंक को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया हैं। भूमि बैंक के रहन होने के कारण बैंक इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। तथा पक्षकारान द्वारा राजीनामा में प्रतिवादी सं. 1 की भूमि में 3/4 हिस्सा वादीगण का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का खातेदारी हम हकूक [illegible] होना स्वीकार कर राजीनामा मुताबिक वाद निर्णित एवं डिक्री करने हेतु निवेदन किया। चूंकि पक्षकारान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.09.29 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

आपस में राजीनामा हो चुका हैं। तथा वादगत/प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि हैं। न्यायालय की मत में ऐसी स्थिति में वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं।

लिहाजा वादीगण का वाद–पत्र बरूए राजीनामा दिनांक 31.08.2020 स्वीकार कर निम्न प्रकार से निर्णित एवं डिक्री किया जाता हैं कि–

प्रतिवादी सं. 1 श्यामलाल पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड चक 27 पीएस की जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के खाता सं. 30/29 में 2237/5592हिस्सा, खाता स. 31/30 में 1336/2227 हिस्सा तथा खाता सं. 59/31 में 27/46 हिस्सा संयुक्त खाता में दर्ज भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 का 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता हैं। चूंकि भूमि बैंक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा रायसिंहनगर के पक्ष में रहन दर्ज हैं, अतः भूमि रहन मुक्त दर्ज होने पर उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.09.29 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

---

प्रकरण संख्या 81/2019
जी.सी.एम.एस. यूनिक आई डीः 2019/00162

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्याम लाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 4, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. आनन्द कुमार पुत्र श्याम लाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 4, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. सुनीता पुत्री श्याम लाल पत्नी रमेश चन्द्र जाति ब्राहमण निवासी हाल सरदारपुरा बास, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

–वादीगण

बनाम

1. श्याम लाल पुत्र मनी राम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 4, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

–:प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88–209 राज. काश्त. अधि

–: निर्णय :–

दिनांकः–16.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रीतम सिंह गिल अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई श्री अवनीश कौशिक अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिब मुदायालाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री की जाती है किः–

प्रतिवादी सं. 1 श्यामलाल पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड चक 27 पीएस की जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के खाता सं. 30/29 में 2237/5592हिस्सा, खाता स. 31/30 में 1336/2227 हिस्सा तथा खाता सं. 59/31 में 27/46 हिस्सा संयुक्त खाता में दर्ज भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 का 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता हैं। चूंकि भूमि बैंक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा रायसिंहनगर के पक्ष में रहन दर्ज हैं, अतः भूमि रहन मुक्त दर्ज होने पर उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को जारी की गयी।

अर्पिता
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.09.29 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested